

आदेश

1

रहना पटवारी आई.एल.आर. की स्थिति पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुसंधान के पश्चात ग्राम श्रीधामा नं. के खाना सं. 158 खसरा नं. 141, 142 में आवेदन 146, 164 अगा. 168

एत अनुसार नजीरुद्दयार शेख के स्थान पर नजीरुद्दयार शेख शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थान अथवा नाम विचारार्थन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चन करें। आदेश क्रम FIR 146/2018 ग्रा. सं. 146/2018 में दिनांक 28/3/25

को मकामे अंतिम में सुनाया गया।



श्रीधामा
उपस्थित
फागी

2020